उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,
संख्या-54/2015/2548/92-1-2015-37(अधि0)/2015,
लखनऊ:: दिनांक:: 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के अग्रिम आदेशों अथवा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के पद पर तैनाती होने तक श्री माधव सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ़ द्वारा अपने कार्यो के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

2- श्री माधव सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता को उक्त अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिये उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन-भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- यह आदेश आगामी दिनांक 01 जुलाई, 2015 से प्रभावी माना जायेगा।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-54/2015/2548(1)/92-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
7- श्री माधव सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ़।
8- विशेष सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanade h.up.nic.in